<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>03.12.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने **प्राथमिक शिक्षक की अवैध नियुक्ति** के मामले में 30.11.2024 को 29 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है।

इससे पहले ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रभारी मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य सहित 25 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत और चार पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर की हैं और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा इसका संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है।

ईडी ने प्राथमिक शिक्षक की अवैध नियुक्ति के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देने और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने और निष्पक्षता बनाए रखे बिना, संबंधित नियमों का उल्लंघन करके एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रचने का मामला शामिल है।

ईडी ने पहले पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रभारी मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था। पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगियों के घर से कुल 49.80 करोड़ रुपये की नकदी और 5.08 करोड़ रुपये के सोने और आभूषण जब्त किए गए। इससे पहले मामले में कुल 95 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के कुल 6 अनंतिम कुर्की आदेश और ग्यारह ओए जारी किए गए थे।

इसके अलावा, वर्तमान में कुल जब्ती और कुर्की की राशि 151.26 करोड़ (लगभग) है जो आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम पर है।

आगे की जांच जारी है।